



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 ई०

श्रावण 06, 1937 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या 1115/XII(1)/2015-90(10)/2012

देहरादून, 28 जुलाई, 2015

पदोन्नति-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-121/26/डी.पी.सी./ई-1/2010-11 दिनांक 23.06.2015 द्वारा की संस्तुति के क्रम में श्री विद्यासागर, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को वर्ष 2003-04 की रिक्ति के सापेक्ष जिला पंचायतराज अधिकारी वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/- के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,


विनोद फोनिया,
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-1
संख्या: 1596/XII(1)-2014-76(03)/2009TC-1
देहरादून, दिनांक: 18 जुलाई, 2014

कार्यालय आदेश/प्रोन्नति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 43/04/डी0पी0सी0/ई-1/2013-14, दिनांक 28.04.2014 में प्राप्त संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायतराज अधिकारी सेवानियमावली 2000 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के क्रम में श्री सुरेन्द्र नाथ, सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी (तकनीकी) संवर्ग से जिला पंचायतराज अधिकारी वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड पे-5400 के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सुरेन्द्र नाथ के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।



विनोद फोनिया
सचिव।

संख्या: 1596 /XII(1)-2014-76(03)/2009 TC-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वरिष्ठ निजी सचिव-मा0 पंचायतीराज मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. सचिव, उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके उक्त पत्र दिनांक 28.04.14 के क्रम में सूचनार्थ।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
10. जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
11. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करवाकर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(ज्योति नीरज खोसला)
अप्रर सचिव।

फोन:-
1/7/14

1/7/14

संज्ञानार्थ


21/7/14

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायतराज अधिकारी सेवा नियमावली, 2000 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में विहित व्यवस्था के अधीन निम्नांकित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जिला पंचायतराज अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान-15600-39100-ग्रेड वेतन-5400 में अस्थाई रूप से कालम-3 में उल्लिखित चयन वर्ष के सापेक्ष नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1-	मौ० जफर खॉन	2010-11	-
2-	श्री विशन सिंह दुग्ताल	2010-11	-
3-	श्री रणवीर सिंह असवाल	2012-13	-

- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान संबंधित जनपदों में शासन के अग्रिम आदेशों तक यथावत तैनात रहेंगे।
- उक्त कार्मिकों को जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाता है।
- चयन वर्ष 2012-13 की पात्रता सूची में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद मैखुरी (ज्येष्ठता क्रमांक-11) को पंचायत निरीक्षक उद्योग के पद पर विनियमित करने संबंधी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण जिला पंचायतराज अधिकारी का 01 पद रिक्त रखा गया है।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या-2932/XII/2013/76(03)/2009, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा रोड देहरादून।
- आयुक्त कुमाँयू/गढ़वाल मण्डल।
- सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-701/दिनांक 27 अगस्त, 2013 के क्रम में सूचनार्थ।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड जनपद-हरिद्वार/पिथौरागढ़/चमोली।
- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जनपद-हरिद्वार/पिथौरागढ़/चमोली, उत्तराखण्ड।
- निदेशक/संयुक्त निदेशक पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस रुडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी०एस०नपरख्याल)
अपर सचिव

(101)

पंचायतराज अनुभाग-1
संख्या- /XII/2011/76(03)/2009
देहरादून: दिनांक: 8 अगस्त, 2011
कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायतराज अधिकारी सेवा नियमावली, 2000 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में विहित व्यवस्था के अधीन निम्नांकित सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी (तकनीकी) एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को जिला पंचायतराज अधिकारी के रिक्त पदों पर बतनमान-15800-39100-ग्रेड बेलन-5400 में अस्थाई रूप से कालम-3 में उल्लिखित चयन वर्ष के सापेक्ष नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1-	श्री भगवान सिंह नेगी,	2000-01	-
2-	श्री द्वारिका प्रसाद देवराड़ी	2000-01	-
3-	श्री भरत सिंह पवार,	2000-01	-
4-	श्री मंगल मोहन	2000-01	सेवा निवृत्त
5-	श्री षष्ठीराम आर्य	2000-01	-
-	श्री रामीराम शर्मा	2000-01	मृत्यु

- 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर ही यथावत तैनात रहेंगे।
- 3- उक्त कार्मिकों को जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाता है।
- 4- प्रश्नगत पदोन्नति श्री रामपाल सिंह के मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन जमानत एप्लीकेशन संख्या-997 आफ 2009, में पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन की जाती है।

(डा०पी०एस०गुंसाई)
सचिव

संख्या-653 (1)/XII/2011/76(03)/2009, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालक्ष्मीकार उत्तराखण्ड आंबराय भवन, माजरा रोड देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमायू/गढ़वाल मण्डल।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार को उनके पत्र संख्या-504/दिनांक 25 मई, 2001 के क्रम में सूचनार्थ।
- 4- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक/संयुक्त निदेशक पंचायतराज निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस रुडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश के असाधारण राजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- सदाक्षत अधिकारी/व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डा०पी०एस०गुंसाई)
सचिव